



आपकी अपील अधिकार

लटरमन एक्ट म

कार्रवाई सूचना (NOA)

जब रीजनल सेंटर आपकी लिखित सहमति के बिना निर्णय लेता है तो रीजनल सेंटर द्वारा आपको NOA भेजना आवश्यक है।

NOA में आपको निम्नलिखित बातें बताना आवश्यक है



रीजनल सेंटर का निर्णय।
वह तारीख जब निर्णय होगा।
निर्णय का कारण।
तथ्य और कानून , जो निर्णय का समर्थन करते हैं।

NOA का सामान्य भाषा में और आपकी पसंदीदा भाषा में होना आवश्यक है।

आपको NOA कब मिलता है

30 दिन

इससे पहले कि रीजनल सेंटर

आपकी सेवाएं बंद या परिवर्तित करता है या रीजनल सेंटर की सेवाओं के लिए आपकी पात्रता समाप्त हो जाती है।

5 दिन

रीजनल सेंटर द्वारा

आपकी इच्छित सेवा से इनकार करने या यह निर्णय लेने के बाद कि आप रीजनल सेंटर का उपभोक्ता बनने के लिए पात्र नहीं हैं।

आप अपील कर सकते हैं

यदि आप और रीजनल सेंटर की सहमति नहीं बनती है तो आप निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अपील प्रक्रिया के तीन भाग होते हैं।

1. अनौपचारिक बैठक
2. मध्यस्थता
3. सुनवाई

आप अपील प्रक्रिया के वे भाग चुन सकते हैं, आप जिनका प्रयोग करना चाहते हैं।

अपील के दौरान आपके पास अधिकार होते हैं



दुभाषिया प्रदान किया जाना



आपके रीजनल सेंटर के अभिलेखों तक पहुंच दिया जाना



अपील के दौरान सहायता पाना



किसी अन्य मध्यस्थता या सुनवाई अधिकारी के लिए अनुरोध करना



रीजनल सेंटर तब तक अटॉर्नी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब तक आप ऐसा नहीं करते

सुनवाई के समय आपके अधिकार



साक्ष्य के तौर पर लिखित दस्तावेज प्रदान किया जाना



गवाहों को गवाही के लिए लाना



रीजनल सेंटर के गवाहों से सवाल पूछना

अपील कैसे करें

अपनी अपील डिपार्टमेंट ऑफ डेवेलपमेंट सर्विसेज को भेजें।

अपील कब करें

आपकी अपील समय-सीमा के भीतर दायर होनी आवश्यक है।



मौजूदा सेवाएं बनाए रखना

आपको कार्रवाई सूचना (NOA) प्राप्त होने के 30 दिन बाद और सेवा समाप्त होने की तारीख से पहले दायर करें।



अन्य सभी अपीलों को

कार्रवाई सूचना (NOA) प्राप्त होने के 60 दिनों के अंदर दायर करें।

कहां से सहायता पाएं

ओम्बड्सपर्सन कार्यालय

(877) 658-9731

Ombudsperson@dds.ca.gov

ग्राहक के अधिकार के लिए एडवोकेट

उत्तरी कैलिफोर्निया

(800) 390-7032

दक्षिणी कैलिफोर्निया

(866) 833-6712

फैमिली रिसोर्स सेंटर

<https://frcnca.org/get-connected/>



अधिक जानकारी क लिए QR कोड को फॉलो कर